

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

कार्यवाही विवरण

सेक्टर प्लान के संबंध में भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान) की 174 वीं बैठक दिनांक 16.04.2012 को आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन सर्वसम्मति से किया गया। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है:-

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया।

1. श्री पुखराज सैन, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एन.के. खरे, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री पी.अरविन्द, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान II), जविप्रा, जयपुर।
4. श्रीमति लवंग शर्मा, अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (बीपीसी) एवं सदस्य सचिव, जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे-

1. श्री राजेन्द्र सिंह उपायुक्त जोन-1 जविप्रा, जयपुर।
2. श्री गिरिश पाराशर, उपायुक्त जोन-2, जयपुर।
3. श्री अशोक शर्मा, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ओंकारमल सैनी, उपायुक्त जोन-10, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री प्रेमशंकर, वरिष्ठ नगर नियोजक III जविप्रा, जयपुर।
6. श्री सोहन लाल वर्मा, सहायक नगर नियोजक जोन-13 जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमति उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा संख्या:-1

174 / 16.04.2012(जोन-9)

विषय:-भूखण्ड संख्या 7, 8, 9, 26, 27, 28 क्षेत्रफल 1699.21 वर्ग गज योजना श्रीराम विहार (महावीर स्वामी गृ.नि.स.समिति) के पुर्नगठन के संबंध में।

प्रकरण का बीपीसी एलपी की 172वीं बैठक दिनांक 24.02.2012 के एजेण्डा संख्या-7 में उक्त भूखण्डों का पुर्नगठन स्वीकृत कर राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया था। जिसमें उक्त पुर्नगठित भूखण्ड के सैटबैक्स सहवन से निम्नानुसार प्रस्तावित किये गये थे:-

सैटबैक:-

- 12 मीटर सड़क की ओर- 12 मीटर
- 9 मीटर सड़क की ओर - 9.00 मीटर
- 9 मीटर सड़क की ओर - 9.00 मीटर
- भूखण्ड संख्या 6 व 29 की ओर- 9.00 मीटर

प्रकरण को पुनः बीपीसी एलपी की 174वीं बैठक में रखा जाकर उक्त सैटबैक के स्थान पर भवन विनियम 2010 अनुसार निम्न सैटबैक रखते हुये पुर्नगठन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।



सैटबैक:-

12 मीटर सडक की ओर- 9.00 मीटर

9 मीटर सडक की ओर - 4.5 मीटर

9 मीटर सडक की ओर - 4.5 मीटर

भूखण्ड संख्या 6 व 29 की ओर- 4.5 मीटर

अन्य पैरामीटर्स भवन विनियम 2010 अनुसार देय होंगे।

एजेण्डा संख्या:-2

174/16.04.2012 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान II)

विषय:- कालवाड रोड के दक्षिण में प्रारूप सेक्टर प्लान का अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया प्रारूप सेक्टर की सीमायें निम्नानुसार है।

उत्तर - कालवाड रोड

दक्षिण - सेक्टर 48, 49 की दक्षिणी सीमा

पूर्व - सेक्टर 54, 55 की पश्चिमी सीमा

पश्चिम - प्रस्तावित रिंग रोड।

- सेक्टर प्लान में प्रस्तावित 24मी. एवं इसे अधिक चौड़ी सडको पर कमर्शियल भू-पट्टी दर्शाई जावे।
- प्रारूप सेक्टर प्लान में गुजर रही एच.टी. लाईन पर नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर रखी जावे। जिन सेक्टर प्लान के अंतर्गत सेफ्टी कोरिडोर के साथ-साथ सडक प्रस्तावित किया गया है, में RVPNL Guidelines (RVPNL/CE/P&C/D-2455 Date-21.10.09) को अपनाया जावे।
- प्रारूप सेक्टर प्लान में गुजर रही गैस पाईप लाईन के लिए सेफ्टी कोरिडोर नियमानुसार दर्शाया जावे।
- सेक्टर प्लान में मास्टर विकास योजना 2025 की सडको का एलाईनमेन्ट जिन्हें कमिटमेंट/निर्माण होने के कारण से परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है को प्राधिकरण की बैठक में पृथक से अनुमोदन कराया जावे। प्रारूप सेक्टर प्लान पर एलाईनमेन्ट सेक्टर के प्रस्ताव के अनुसार ही रखा जावे।

उपरोक्त शर्तों के अनुसार सैद्धान्तिक रूप से प्रारूप सेक्टर प्लान को स्वीकृत कर आम जनता से आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-3

174/16.04.2012 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान II)

विषय:- प्रारूप सेक्टर प्लान 66 के अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया प्रारूप सेक्टर की सीमायें निम्नानुसार है।

उत्तर - मुहाना रोड

दक्षिण - प्रस्तावित रिंग रोड।

पूर्व - डिग्गी रोड

पश्चिम - प्रस्तावित रिंग रोड।

- 24मी. एवं इससे अधिक चौड़ी सडको के सहारे नियमानुसार कमर्शियल भू-पट्टी दर्शाई जावे।
- प्रारूप सेक्टर प्लान में गुजर रही एच.टी. लाईन पर नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर रखी जावे। जिन सेक्टर प्लान के अंतर्गत सेफ्टी कोरिडोर के

साथ-साथ सड़क प्रस्तावित किया गया है, में RVPNL Guidelines (RVPNL/CE/P&C/D-2455 Date-21.10.09) को अपनाया जावे।

- सेक्टर प्लान में मास्टर विकास योजना 2025 की सड़को का एलाईनमेन्ट जिन्हें कमिटमेंट/निर्माण होने के कारण से परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है को प्राधिकरण की बैठक में पृथक से अनुमोदन कराया जावे। प्रारूप सेक्टर प्लान पर एलाईनमेन्ट सेक्टर के प्रस्ताव के अनुसार ही रखा जावे।

उपरोक्त शर्तों के अनुसार सैद्धान्तिक रूप से प्रारूप सेक्टर प्लान को स्वीकृत कर आम जनता से आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-4

174/16.04.2012 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान II)

विषय:- सेक्टर 57 के पश्चिमी क्षेत्र का प्रारूप सेक्टर प्लान अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया प्रारूप सेक्टर की सीमायें निम्नानुसार है।

- उत्तर - प्रस्तावित रिंग रोड।
- दक्षिण - प्रस्तावित यू1 सीमा।
- पूर्व - सेक्टर 57 की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा।
- पश्चिम - प्रस्तावित यू1 सीमा।

- 24मी. एवं इसे अधिक चौड़ी सड़को के सहारे कमर्शियल भू-पट्टी रखी जावे।
- प्रारूप सेक्टर प्लान में गुजर रही एच.टी. लाईन पर नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर रखी जावे। जिन सेक्टर प्लान के अंतर्गत सेफ्टी कॉरिडोर के साथ-साथ सड़क प्रस्तावित किया गया है, में RVPNL Guidelines (RVPNL/CE/P&C/D-2455 Date-21.10.09) को अपनाया जावे।
- सेक्टर प्लान में मास्टर विकास योजना 2025 की सड़को का एलाईनमेन्ट जिन्हें कमिटमेंट/निर्माण होने के कारण से परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है को प्राधिकरण की बैठक में पृथक से अनुमोदन कराया जावे। प्रारूप सेक्टर प्लान पर एलाईनमेन्ट सेक्टर के प्रस्ताव के अनुसार ही रखा जावे।

उपरोक्त शर्तों के अनुसार सैद्धान्तिक रूप से प्रारूप सेक्टर प्लान को स्वीकृत कर आम जनता से आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या:-4

174/16.04.2012 अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान II)

विषय:- प्रारूप सेक्टर प्लान 56 ए का अनुमोदन बाबत।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया प्रारूप सेक्टर की सीमायें निम्नानुसार है।


- उत्तर - अजमेर रेल्वे लाईन
- दक्षिण - अजमेर रोड
- पूर्व - पृथ्वीराज नगर योजना की अवाप्ति सीमा
- पश्चिम - सेक्टर 56 की पूर्वी सीमा

- 24मी. एवं इससे अधिक चौड़ी सड़को के सहारे कमर्शियल भू-पट्टी रखी जावे।
- सेक्टर 56 के पूर्व में प्रस्तावित 200 फीट सड़क जो प्रारूप सेक्टर 56ए की पश्चिमी सीमा सड़क के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्रों के बारे में प्रारूप सेक्टर प्लान हेतु आम जनता से आमंत्रित आपत्ति/सुझाव प्राप्त होने के समय उक्त प्रार्थना पत्रों पर विचार किया जावे।

- प्रारूप सेक्टर प्लान में गुजर रही एच.टी. लाईन पर नियमानुसार सेफ्टी कोरिडोर रखी जावे। जिन सेक्टर प्लान के अंतर्गत सेफ्टी कोरिडोर के साथ-साथ सड़क प्रस्तावित किया गया हैं, में RVPNL Guidelines (RVPNL/CE/P&C/D-2455 Date-21.10.09) को अपनाया जावे।
- सेक्टर प्लान में मास्टर विकास योजना 2025 की सड़को का एलाईनमेन्ट जिन्हें कमिटमेंट/निर्माण होने के कारण से परिवर्तन प्रस्तावित किया गया है को प्राधिकरण की बैठक में पृथक से अनुमोदन कराया जावे। प्रारूप सेक्टर प्लान पर एलाईनमेन्ट सेक्टर के प्रस्ताव के अनुसार ही रखा जावे।

उपरोक्त शर्तों के अनुसार सैद्धान्तिक रूप से प्रारूप सेक्टर प्लान को स्वीकृत कर आम जनता से आपत्ति सुझाव आमंत्रित किये जाने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।



25/4/12
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक :- जविप्रा/सदस्य सचिव बीपीसी (एलपी)/बीपीसी/2012/डी-262

दिनांक:- 25/4/12

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
7. अति० आयुक्त (पूर्व)/ (पश्चिम)/ (एलपीसी)/ (भूमि), जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (एमपी) जविप्रा जयपुर।
9. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर।
10. उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर।
11. उप रजिस्टार (सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
12. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
13. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।


25/4/12
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति
(ले-आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।